UPAZ010064922026

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।</u>

उपस्थितः जय प्रकाश पाण्डेय, एच०जे०एस० (J.O. Code U.P.1883)

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 3004/2026</u>

1- एहतेशाम अहमद पुत्र शाहीन अहमद खान, प्रबंधक मदरसा असर्फिया निसवां माहुल मदरसा आई.डी. 191100050

2- शबाना बानों पत्नी मोहम्मद नैय्यर निवासी माहुल।

3- अफसां बानों पुत्री शाहीन अहमद खान माहुल

4- नाहिद फातिमा पत्नी तारिक निवासी ग्राम व पोस्ट विसहम मिर्जापुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़। .....**आवेदकगण/अभियुक्तगण।**

<u>बनाम</u>

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

<u>दिनांक- 29.07.2026</u>

1. प्रस्तुत प्रथम **अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र** अंतर्गत **धारा 438 दं.प्र.सं.** आवेदकगण/ अभियुक्तगण **एहतेशाम अहमद, शबाना बानों, अफसां बानो, नाहिद फातिमा** की तरफ से मु०अ०सं०- **113/2025** अंतर्गत **धारा- 409, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं.** थाना- **अहरौला,** जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में लिखे गये सम्पूर्ण कथन उनकी निजी जानकारी में सही व सच है।

3. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादी मुकदमा कुंवर ब्रम्ह प्रकाश सिंह निरीक्षक/जांच अधिकारी राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा, लखनऊ उ.प्र. द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊ, उ.प्र. शासन के आदेश दिनांकित 23.10.2020 के क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ.प्र. लखनऊ के पत्र दिनांकित 12.07.2018 के द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत विषयांकित प्रकरण की जांच विशेष, अनुसंधान दल से कराये जाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों के आदेशानुसार निरीक्षक, एस.आई.टी. मुख्यालय लखनऊ द्वारा जांच की गयी। जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मदरसा असर्फिया निसवां माहुल (मदरसा आई.डी. 191100050) में निम्न कमियां पायी गयी। दिनांक 08.09.2008 को मदरसे को तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदत्त की गयी। मदरसे द्वारा पोर्टल पर तीन कक्ष 300 वर्ग फीट, एक कक्ष कार्यालय 150 वर्गफीट, 1 प्रधानाचार्य कक्ष 150 वर्गफीट प्रदर्शित किये गये। मदरसे द्वारा पोर्टल पर छात्रों की संख्या 130 दिखायी गयी है। मदरसे द्वारा पोर्टल पर आधुनिकीकरण स्टाफ के अंतर्गत 3 शिक्षकों के नाम दिये गये हैं- शबाना बानो, अफसन बानो, नाहिद फातिमा। मदरसे के द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कुल 66,000/- रू. राजकीय धन का गबन किया गया है।

4. **आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदकगण निर्दोष है, रंजिशन अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदकगण का

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2026.07.29 16:43:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 2008 में मदरसे को तहतानियां स्तर की अस्थायी मान्यता सभी आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने के पश्चात मिली थी। आवेदकगण को वर्ष 2008 से आज तक शासन से किसी प्रकार की कोई सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदकगण द्वारा न तो किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गयी है और न ही कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग किया गया है और न ही सरकारी धन प्राप्त कर दुरूपयोग कर लाभ अर्जित किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध प्रमाणित नहीं है। आवेदकगण द्वारा अग्रिम जमानत के दुरूपयोग का कोई प्रसंग नहीं है। पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने की फिराक में है। यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

5. **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं। अभियुक्त एहतेशाम मदरसे का प्रबंधक है तथा अन्य सहअभियुक्तगण कथित मदरसे में शिक्षक के रूप में नियुक्त थे। उक्त मदरसे द्वारा पोर्टल पर तहतानिया के लिए तीन कक्ष 300 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले प्रदर्शित किये गये, जबकि मौके पर मदरसा संचालित नहीं मिला। मदरसे के द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कुल 66,000/- रू. राजकीय धन का गबन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास न होने मात्र से अपराध की गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। ऐसी दशा में आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों/ पत्रावली का परिशीलन किया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा द्वारा कथन किया है कि मदरसा असर्फिया निसवां माहुल (मदरसा आई.डी. 191100050) में निम्न कमियां पायी गयी। दिनांक 08.09.2008 को मदरसे को तहतानिया स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदत्त की गयी। मदरसे द्वारा पोर्टल पर तीन कक्ष 300 वर्ग फीट, एक कक्ष कार्यालय 150 वर्गफीट, 1 प्रधानाचार्य कक्ष 150 वर्गफीट प्रदर्शित किये गये। मदरसे द्वारा पोर्टल पर छात्रों की संख्या 130 दिखायी गयी है। मदरसे द्वारा पोर्टल पर आधुनिकीकरण स्टाफ के अंतर्गत 3 शिक्षकों के नाम दिये गये हैं- शबाना बानो, अफसन बानो, नाहिद फातिमा। मदरसे के द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कुल 66,000/- रू. राजकीय धन का गबन किया गया है।

7- विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नं. 16 में मदरसा निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है जिसके अनुसार मदरसा अशरफिया निस्वां माहुल आजमगढ़ मदरसा आई.डी. 191100050 का प्रबंधक प्रार्थी/अभियुक्त एहतेशाम अहमद खान है। उक्त मदरसे द्वारा मदरसा पोर्टल पर तीन कक्ष 300 वर्ग फीट, एक कक्ष कार्यालय 150 वर्गफीट, 1 प्रधानाचार्य कक्ष 150 वर्गफीट प्रदर्शित किये गये। मदरसे द्वारा पोर्टल पर छात्रों की संख्या 130 दिखायी गयी है, किन्तु जांच में मौके पर मदरसा अस्तित्वहीन पाया गया। मदरसे द्वारा आधुनिकीकरण स्टाफ के अंतर्गत 3 शिक्षकों शबाना बानो, अफसन बानो, नाहिद फातिमा के नाम दिये गये हैं। उक्त शिक्षकों में शिक्षक सबाना बानों को केंद्रांश मानदेय के अंतर्गत दिनांक 11.06.2016 से 07.01.2017 तक यू.बी.आई. बैंक माहुल की शाखा से 22,000/- रू. मानदेय भुगतान किया गया है। इसी प्रकार शिक्षक अफसां बानों द्वारा दिनांक 11.06.2016 से 07.01.2017

तक यू.बी.आई. माहुल की शाखा से 22,000/- रू. तथा शिक्षक नाहिद फातमा द्वारा दिनांक 11.06.2016 से 07.01.2017 तक कुल 22,000/- रू. मानदेय यू.बी.आई. बैंक फूलपुर की शाखा से प्राप्त किया गया है। इस प्रकार विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्यों के अवलोकन से इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक/अभियुक्त एहतेशाम द्वारा अस्तित्वहीन मदरसे का प्रबंधक बनकर तथा अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा अस्तित्वहीन मदरसे में शिक्षक बनकर केंद्रांश मानदेय के रूप में 66,000/- रू. राजकीय धन का गबन किया गया है। अभियुक्त एहतेशाम द्वारा कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर अस्तित्वहीन मदरसे की मान्यता प्राप्त की गयी है।

8- केस डायरी के अवलोकन से पाया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने Criminal Misc. Writ Peititon No. 14542 of 2025 Ehatesham Ahmad vs State of U.P. and 2 others में पारित आदेश दिनांकित 10.07.2025 द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने तक प्रार्थी/अभियुक्त एहतेशाम अहमद की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी है। केस डायरी के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त एहतेशाम अहमद के विरूद्ध विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है।

9- उल्लेखनीय है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के विभिन्न आधारों में से एक आधार यह होता है कि आवेदकगण की सामाजिक छवि को धूमिल करने, उन्हें बेइज्जत करने के उद्देश्य से झूठा फंसाते हुए झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया हो, परंतु प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर आवेदकगण की प्रकरण में भूमिका प्रतीत होती है, जिससे आवेदकगण का यह कथन कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, प्रथमदृष्टया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष अवधारित किया जा सके कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को मात्र अपमानित करने, उनकी छवि को धूमिल करने अथवा बेइज्जत करने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है अथवा उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का अपराध है, जो आजीवन कारावास तक से दंडनीय है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

10- इस आदेश में मुकदमे के गुणदोष पर की गयी टीका-टिप्पणी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है जिसका मुकदमे के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11- अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता के दृष्टिगत इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **एहतेशाम अहमद, शबाना बानों, अफसां बानो, नाहिद फातिमा** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 29.07.2026

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।